

कार्यालय जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्या0  
दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट  
E-mail dfotsbghat@mp.gov.in

विज्ञापन सूचना

समिति प्रबंधक के पद पर भर्ती हेतु

जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्या0 दक्षिण (सा0) सामान्य वनमण्डल बालाघाट के अंतर्गत प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति क्रमशः धनसुआ, लालबर्वा, जरेरा, बटकरी, बम्हनवाड़ा, गोरेघाट, रिसेवाड़ा, एवं लौगुर में प्रबंधकों के रिक्त पद पर प्रबंधक सेवा (नियोजन, निबंधन तथा कार्य स्थिति) नियम में अध्याय 2-भर्ती नियम के तहत भर्ती की जाना है। अभ्यर्थी, प्रबंधक भर्ती हेतु आवेदन पत्र दिनांक 10.03.2026 से 25.03.2026 तक समय दोपहर 12 बजे तक संबंधित वन परिक्षेत्र कार्यालय से निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं एवं निर्धारित आवेदन पत्र पर अपना पूर्ण रूप से भरा आवेदन पत्र मय अभिलेख सील बन्द लिफापा में संबंधित वन परिक्षेत्र कार्यालय में जमा करने की तिथि व समय 10.03.2026 से 25.03.2026 को दोपहर 03.00 बजे तक निर्धारित है एवं निर्धारित अर्हता/शर्तें/आवेदन फार्म/पारिश्रमिक विवरण, अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय के वेबसाईट <http://www.mpforest.gov.in> पर देखा जा सकता है।

व.म.अ. एवं पदेन प्रबंध संचालक  
जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्या0  
दक्षिण (सा0) वनमण्डल बालाघाट

**कार्यालय जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्या. दक्षिण वनमण्डल बालाघाट म.प्र.**

**प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधक की भर्ती हेतु निर्धारित योग्यतायें—**

- (1) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेण्डरी (10+2) उत्तीर्ण होगी।
- (2) अभ्यर्थी का संस्था क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य होगा।
- (3) यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी संस्था क्षेत्र के ऐसे संग्राहक परिवार से हो, जिसने नियुक्ति के पूर्व के पाँच वर्ष में से कम से कम तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम एक मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य किया हो।
- (4) अभ्यर्थी को कम्प्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
- (5) अध्यक्ष, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के द्वारा प्रबंधक पद पर भर्ती के लिए संबंधित जिला वनोपज यूनियन को लिखित आवेदन किया जाएगा।

**2. आयु सीमा :-**

भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी।

**3. अन्य अर्हतायें :-**

- (1) मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।
- (2) अन्य किसी भी सेवा नियोजन का गबनशुदा न हो, आर्थिक अथवा अन्य किसी अपराध के लिये कार्यवाही जारी/पंजीकृत न हो, किसी न्यायालय से सजायापता न हो।
- (3) म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी संचालक का परिभाषित संबंधी न हो।

व.म.अ. एवं पदेन प्रबंध संचालक  
जिला लघु वनोपज सहकारी संघ मर्या0  
दक्षिण वनमण्डल बालाघाट